न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 32/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/129

अपीलाण्ट्स :–

मृत राकेश पुत्र श्री देवीलाल बैरवा, निवासी 84, महाराणा प्रताप नगर, पाली (राज.) के कायम मुकाम

1/1. पूजा धर्मपत्नी स्व. श्री राकेश बैरवा

1/2. एकता मधुधर पुत्री स्व. श्री राकेश बैरवा

1/3. देवियानी मधुधर पुत्री स्व. श्री राकेश बैरवा

1/4. दीप्ति मधुधर पुत्री स्व. श्री राकेश बैरवा

निवासीगण 84, महाराणा प्रताप नगर पाली तहसील पाली जिला पाली, क्रम संख्या 1/2 से लगायत 1/4 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता क्रम संख्या 1/1 श्रीमती पूजा पत्नी स्व. श्री राकेश बैरवा का बहैसियत आम मुख्तियार मोहम्मद साजिद वल्द मोहम्मद इकबाल जाति सिलावट मुसलमान, उम्र 31 वर्ष, निवासी 6/7, फिरदोश कॉलोनी, कालू कॉलोनी, पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. नाथूराम मेघवाल पुत्र श्री बगदाराम मेघवाल निवासी 80 बी कुम्हारों का निचला बास सूरजपोल पाली तहसील पाली जिला पाली (राज.)
2. संजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार मेहतर, निवासी हरिजन बस्ती, दुक्का बकरा मण्डी, जोधपुर (राज.)
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसील पाली (राज.)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी
सरकारी पैरोकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.02.2025

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पटवार मण्डल हेमावास के स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 10.08.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी व सरकारी पैरोकार वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 01 एवं रेस्पो. संख्या 02 अनुपस्थित। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम मानपुरा, पटवार हल्का हेमावास,

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डली की सरहद में खसरा नम्बर 76 रकबा 15 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित थी। जिसमें रकबा 04 बीघा कृषि भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम दर्ज थी, रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि रकबा 04 बीघा का आम मुख्तियार नामा नन्दकिशोर के पक्ष में दिनांक 20.01.2006 को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया, तत्पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होने से श्री कसना के हिस्से खसरा नम्बर 76/1 रकबा 04 बीघा (यानि 0.6475 हैक्टेयर) भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। तत्पश्चात नन्दकिशोर द्वारा जरिये आम मुख्तियार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के नाम की सम्पूर्ण कृषि भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 20.07.2023 रकबा 0.3238 हैक्टेयर व विक्रय विलेख दिनांक 24.07.2023 रकबा .3238 हैक्टेयर अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता/पति के नाम से पंजीयन करवाया व अपीलाण्ट के पिता/पति की जाति बैरवा के स्थान पर बावरी हो जाने से रेस्पो. संख्या 02 द्वारा शुद्धी–पत्र दिनांक 07.08.2023 को पंजीबद्ध करवाया। उपरोक्त दस्तावेजों के दीगर कार्यवाही करने हेतु अपीलाण्ट ने मोहम्मद साजिद के पक्ष में दिनांक 08.12.2023 को एक आम मुख्तियारनामा नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर निष्पादित किया है। इसी क्रम में श्री कसना द्वारा जैर आराजी को श्रवण चौहान व मगनलाल को जरिए रजिस्टर्ड बेचान कर दिया जिस पर श्रवण चौहान व मगनलाल ने भी अपने नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा खसरा संख्या 76/1 के सम्पूर्ण रकबे का दो बार बेचान हो जाने के कारण प्रकरण को अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर वास्ते सुनवाई पत्रावली कायम की गई जिसमे तहसीलदार पाली कसना की विवादित भूमियों को अपीलाण्ट राकेश के मर जाने के कारण उसके वारिशान् वर्तमान अपीलाण्ट के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिनांक 08.07.2024 को पारित किया गया, जिसकी अपील श्रवण व मगनलाल द्वारा न्यायालय, सम्भागीय आयुक्त पाली के यहां अपील संख्या 710/2024 प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 21.10.2024 की पेशी दिनांक के नोटिस प्राप्त हुए है। रेस्पो. संख्या 01 को आम मुख्तियारनामे की सचेष्ट जानकारी होते हुए भी जैर आराजी का बार बार बेचान कर रहा है एवं अपीलाण्ट्स को नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है। कसना ने अपीलाण्ट के पक्ष में पंजीयन दस्तावेज निष्पादित करवाने के बावजूद भी दिनांक 09.05.2022 को रीतिका गुप्ता के पक्ष में आम मुख्तियारनामा निष्पादित करवाया व रीतिका गुप्ता ने दिनांक 11.07.2024 को नाथूराम के पक्ष में दस्तावेज पंजीयन करवाये व उसी क्रम में न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.07.2024 प्रचलित होते हुए भी रेस्पो. संख्या 01 ने रेस्पो. संख्या 03 को बेचान कर दिया जिसके आधार पर जैर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो फर्जी व कूटरचित होने से काबिले खारिज है। अतः जैर अपील स्वीकार कर जैर नामान्तरकरण संख्या 1237 खारिज फरमावे।

बहस सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलाण्ट ने यह अपील नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 10.08.2024 जिसमें नाथूराम रेस्पो. संख्या 01 द्वारा भूमि का विक्रय रेस्पो. संख्या 02 को किया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट आया कि हस्तगत प्रकरण न्यायालय हाजा के अपील संख्या 30/2024 बअनवान राकेश के कायम मुकाम पूजा वगैरह बनाम

जिला कलक्टर, पाली

कसना वगैरह से संबंधित है जिसमें इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी से संबंधित तथ्यों पर विस्तार से विवेचन करते हुए दिनांक 24.02.2025 को निर्णय पारित किया था। चूंकि हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी उक्त अपील संख्या 30/2024 में वर्णित आराजी से ही संबंधित है तो जैर प्रकरण में पुनः उन्हीं तथ्यों का विस्तार से विवेचन किये जाने का कोई तार्किक अर्थ प्रकट नहीं होता है।

समग्र रूप से हस्तगत प्रकरण में मूल विवाद कसना की विवादित आराजियात का ही है। उस के आम मुख्तियारनामा द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर तहसीलदार द्वारा धारा 135 (2) के तहत नामान्तरकरण दर्ज करने का मृतक राकेश के नाम आदेश पारित कर दिया गया है तथा उक्त आदेश की अपील वर्तमान में न्यायालय सम्भागीय आयुक्त के यहां विचाराधीन है। अब अपीलाण्ट ने पुनः कसना द्वारा श्रवण व मगनलाल के पश्चात् नाथूराम व नाथूराम द्वारा रेस्पो. संख्या 02 को किये गये विक्रय के आधार पर स्वतः नामान्तरकरण को न्यायालय हाजा से अपास्त करवाना चाहते है। प्रकरण में विषयवस्तु कसना की विवादित भूमियां है तथा उक्त भूमियों का आम–मुख्तियारनामे के माध्यम से अपीलाण्ट को किया गया विक्रय वैद्य है अथवा कसना द्वारा दिनांक 25.08.2023 को श्रवण व मगनलाल को किया गया विक्रय वैद्य है अथवा दिनांक 11.07.2024 को किये गये विक्रय से संबंधित नामान्तरकरण वैद्य है अथवा जैर अपील से संबंधित स्वतः स्वीकृत नामान्तरकरण वैद्य है। यह मूल अपील संख्या 8/2023 जिसकी अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहां विचाराधीन है, उसमे वर्तमान पश्चातवर्ती क्रेताओं को भी पक्षकार बनाकर तय करवाया जाना उचित होगा अन्यथा वाद बाहुल्यता बढेगी क्योकि मूल प्रश्न मुख्तियारनामे से किये गये विक्रय अथवा उसके पश्चातवर्ती खातेदार स्वयं द्वारा किये गये विक्रय की वैद्यता विनिश्चयन का है। यह न्यायालय कसना स्वयं द्वारा किये गये प्रथम विक्रय के बाद किये गये क्रमिक पश्चातवर्ती विक्रय के स्वतः दर्ज नामान्तरकरण में यदि कोई आदेश पारित करता है तो उच्चतर न्यायालय में लम्बित अपील के निर्णय से पूर्व मूल विवाद बिन्दु पर निर्णय हो जाता है जो कदापि उचित नहीं है तथा यह विवादों की बाहुल्यता को बढावा देगा तथा अनावश्यक न्यायिक जटिलताएं उत्पन्न करेगा।

अतएव यह अपील उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज करते हुए अपीलाण्ट को यह निर्देशित किया जाता है कि वह मूल अपील जो कि अपीलाण्ट स्वयं द्वारा बताए अनुसार न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहां लम्बित है, उसमे पश्चातवर्ती क्रेताओं को पक्षकार बनाए जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करे अथवा अन्य उपयुक्त विधिक उपचारों के साथ सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे ताकि समग्र विवादों का एक ही प्रकरण में निस्तारण हो सके। लिहाजा जैर अपील उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज की जाती है साथ ही तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि वह न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहां अपनी मूल पत्रावली संख्या 8/2023 न्यायालय हाजा के निर्णय के साथ यथाशीघ्र प्रेषित करे।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली